(82)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

"प्रेस विज्ञप्ति"

झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 तथा झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004 यथा संशोधित नियमावली, 2015 एवं विभागीय संकल्प संख्या–296 दिनांक–06.02.2023 के उपबंधों के अधीन शैक्षणिक संस्थान के सुदृढ़ीकरण/संरचना विकास तथा उनके सर्वांगीण विकास के निमित्त अनुदान प्रदान करने हेतु राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय, स्थायी प्रस्वीकृत इण्टर महाविद्यालय, प्रस्वीकृत मदरसा एवं प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों से **वित्तीय वर्ष 2025–26** के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक–13.12.2025 निर्धारित थी। उक्त अवधि तक कतिपय वित्त रहित शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जाने एवं झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की तिथि दिनांक–05.01.2026 तक विस्तारित की गई।

उल्लेखनीय है कि उक्त विस्तारित अवधि तक कतिपय वित्त रहित शिक्षण संस्थान द्वारा अनुदान पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन समर्पित नही किये जाने एवं पुनः तिथि का विस्तारण किये जाने का अभ्यावेदन निदेशालय को प्राप्त हो रहें हैं।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त् एतद् द्वारा संबंधित को सूचित किया जाता है कि **पूर्णतः अंतिम अवसर प्रदान करते हुए ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की तिथि दिनांक–27.01.2026 तक पुनः विस्तारित** की जाती है।

संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची अपने स्तर से प्राप्त हो चुके आवेदनों, जिनकी जांच संपन्न कर ली गई है, अविलम्ब निदेशालय को Online प्रेषित करेंगे तथा शेष एवं प्राप्त होने वाले आवेदनों की त्वरित रूप से जांच संपन्न करते हुए अनुशंसा निदेशालय को पोर्टल के माध्यम से ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रेषण की अंतिम रूप से विस्तारित तिथि **दिनांक–03.02.2026 को सायं 05:00 बजे तक** निर्धारित की जाती है।

नोट :–

1. **उक्त विस्तारित अवधि के उपरांत किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकृत नहीं होंगे।**
2. **निर्धारित तिथि के बाद Online आवेदन जमा करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी।**
3. **किसी भी प्रकार की तकनीकी सहयोग के लिए श्री क्षितिज कुमार, प्रोग्रामर, मोबाईल नं0–9006042011 पर संपर्क स्थापित करेंगे।**

16/1/2026

(राजेश प्रसाद)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
झारखंड, राँची।